

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENCH AT NEW DLEHI
CAA-33 (ND) 2018, IN CONNECTION WITH CA (CAA) 138 (ND) 2017**

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013
AND

In the matter of Deora Associates Private Limited (CIN: U74899DL1989PTC038545) having its registered office at 606, New Delhi House, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 (Transferor Company)

AND

Integrated Capital Services Limited (CIN: L74899DL1993PLC051981) having its registered office at 606, New Delhi House, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 (Transferee Company)

NOTICE OF PETITION

A Petition under Section 230 and 232 of the Companies Act, 2013 for sanctioning the Scheme of Arrangement was presented by Integrated Capital Service Limited ("ICSL") (Transferee Company) on 4th day of April, 2018 at New Delhi Bench and the said Petition is now fixed for hearing before the National Company Law Tribunal on 30th May, 2018.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner's Advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than 'two days' before the date fixed for the hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Sd/-

**Vivek Sibal
(Advocate)**

**Counsel for Transferee Company
B-31, Connaught Place
New Delhi – 110001**

**Date: 08.05.2018
Place: New Delhi**

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्युनल के समक्ष नई दिल्ली बेंच
सीएए-33 (एनडी) 2018 के मामले में, सीए (सीएए) 138 (एनडी) 2017
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230 व 232 तहत लागू प्रावधानों के मामले में
तथा

देओरा एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएनरूयू 74899 डीएल 1989 पीटीसी 038545) जिसका
पंजीकृत कार्यालय 606, न्यू दिल्ली हॉउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001 स्थित है (ट्रांसफर
कम्पनी)

तथा

इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएनरूएल 74899 डीएल 1993 पीएलसी 051981) जिसका
पंजीकृत कार्यालय 606, न्यू दिल्ली हॉउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001 स्थित है (ट्रांसफ्री कम्पनी)

याचिका की सूचना

इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (ईसीएसएल) (ट्रांसफ्री) कम्पनी के द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की
धारा 230 और 232 के तहत दिनांक 04 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली बेंच में (व्यवस्था की योजना को मंजूरी
देने हेतु) याचिका प्रस्तुत की गयी थी, जिसकी सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्युनल के समक्ष अब
30, मई 2018 को नियत की गयी है।

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक है, वह याचिकाकर्ता कम्पनी के
वकील को अपने इरादे की सूचना, खुद के नाम, पते के साथ व खुद के हस्ताक्षर करके अपना विरोध समर्थन
याचिकाकर्ता के वकील के पास सुनवाई की निर्धारित तिथि (2 दिन पहले नहीं) भेज सकता है। विरोध समर्थन
करने वाले व्यक्ति उसके खुद या विपक्ष के आधार पर या उसके द्वारा एक शपथपत्र की एक प्रति इस नोटिस के
साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की एक प्रति किसी व्यक्ति के द्वारा, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर,
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से ली जा सकती है।

हस्ता: /-
(विवेक सिबल)
एडवोकेट

दिनांक : 08.05.2018

स्थान : नई दिल्ली

ट्रांसफ्री कम्पनी हेतु वकील

बी - 31, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001